संख्या-19/2021/38-6099(99)/8/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्यर सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-10 जून, 2021

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत बजट के सापेक्ष डी0डी0यू0-जी0के0वाई0 अन्तर्गत अनुदान संख्या-81(अनुसूचित जनजाति) अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-138/1109/ आजीविका/लेखा/2021-22 दिनांक 12-04-2021 के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुदान सं0-81 अनुसूचित जनजाति मद में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-जे-17036/57/2013-एसजीएसवाई-।। (एसपी)-1(7/सी), दि0-18-06-2020 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0-5127.675 लाख एवं इसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0-3418.450 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-8546.125 लाख(रूपये पचासी करोड छियालीस लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) शासनादेश सं0-21/2020/299(4)/38-6-19-01 (एसआरएलएम)/2019 दि0-24 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत किया गया । अनुदान अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के दृष्टिगत शासनादेश सं0-21/2020/299(4)/38-6-19-01(एसआरएलएम)/2019 दि0-24 सितम्बर, 2020 द्वारा निर्गत धनराशि संशोधित किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-514/38-6-20-01(एसआरएलएम)/2019 दि0-16-12-2020 निर्गत किया गया जिसके द्वारा धनराशि रू0-7530.29330 लाख निर्गत किया गया। इस प्रकार धनराशि रू0-1015.83170 लाख(दस करोड पन्द्रह लाख तिरासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) निर्गत होना अवशेष है। योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-06-2020 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश धनराशि रू0-1015.83170 लाख(दस करोड पन्द्रह लाख तिरासी हजार एक सौ सत्तर मात्र) (केन्द्रांश रू0-898.437 लाख एवं राज्यांश रू0 117.3947 लाख) को अवमुक्त कर आयुक्त ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

1- आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन होगा। धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाईड लाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगा।

7- स्वीकृति जारी करने के पूर्व विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/ हो रहा है।

8- योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

9- भारत सरकार के पत्र दिनांक-18-06-2020 में अंकित दिशा निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्यकयक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यक्रम-796-जनजातिय उप क्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4-यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-2-1349959/दस-2021 दिनांक-07-06-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यपक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वीतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वीतीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन) नई दिल्लीड।
4. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।